न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 222/2018

अनवान :

1. कृष्ण पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हजारी कौम जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. पवन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. संतोष पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबडी हाल निवासी कालवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

वकील श्री मदन कड़वासरा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक : 30/01/2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 2 एसडीआर के खाता सं0 92/86 के मु0नं0 20 के किला नं0 1, 10, 11, 20 कुल किता 4 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9600 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0520 है0 प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व चक 3 एसडीआर के खाता सं0 65/64 के मु0नं0 10 के किला नं0 22, 23, 24 कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी व मु0नं0 19 के किला नं0 2, 3 कुल किता 2 की 0.5060 है0 नहरी कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 1.2550 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप व राजेन्द्र के नाम दर्ज है जिसमें रामस्वरूप का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 66/65 के मु0नं0 20 के किला नं0 25, कुल किता 1 की 0.2530 है0 नहरी, मु0नं0 28 के किला नं0 4, 5, 6, 7 कुल किता 4 की 1.01120 है0 जिसमें नहरी 0.9620 है0 गै0मु0 खाला 0.0500 है0 व मु0नं0 29 के किला नं0 1 ता 15, 17 ता 22 कुल किता 21 की 5.3130 है0 नहरी, कुल खसरा नं0 26 कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 जिसमें नहरी 6.5280 है0 गै0मु0खाला 0.0500 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम दर्ज है जो कि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है और वादी के दादा हजारी के समय की है।

वादी के दादा हजारी की मृत्यु होने के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के नाम कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप वृद्ध हो चुका है। वाद भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। वाद भूमि में आज भी वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ही काश्त करते चले आ रहे है, इसलिए उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 एसडीआर खाता सं0 92/86 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श पी1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 एसडीआर के खाता सं0 65/64 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श पी2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 एसडीआर के खाता सं0 66/65 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श पी3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 2 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 3 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है इसलिए वांदी का वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 2 व 3 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने दावा में जाहिर किया है कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है व प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 2 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 3 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी5 प्रदर्शित करवाये है जिसमें चक 3 एसडीआर के मु0नं0 10 के किला नं0 22, 23, 24, मु0नं0 19 के किला नं0 2 व 3 को छोड़कर अन्य वाद भूमि वादी के दादा हजारी वल्द ठन्डू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे उक्त वर्णित वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक अपने भाईयों व पिता के पक्ष में त्याग किये जाने के तथ्यों को राजीनामा में स्वीकार किया है व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी6 में रामस्वरूप के वारिसान में पत्नी गुड्डी देवी, दो पुत्र कृष्ण कुमार व पवन कुमार व एक पुत्री सन्तोष कुमारी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 2 एसडीआर के खाता सं0 92/86 के मु0नं0 20 के किला नं0 1, 10, 11, 20 कुल किता 4 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9600 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0520 है0 प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 66/65 के मु0नं0 20 के किला नं0 25, कुल किता 1 की 0.2530 है0 नहरी, मु0नं0 28 के किला नं0 4, 5, 6, 7 कुल किता 4 की 1.01120 है0 जिसमें नहरी 0.9620 है0 गै0मु0 खाला 0.0500 है0 व मु0नं0 29 के किला नं0 1 ता 15, 17 ता 22 कुल किता 21 की 5.3130 है0 नहरी, कुल खसरा नं0 26 कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 जिसमें नहरी 6.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

5280 है0 गै0मु0खाला 0.0500 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 3 एसडीआर के खाता सं0 65/64 के मु0नं0 10 के किला नं0 22, 23, 24 कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी व मु0नं0 19 के किला नं0 2, 3 कुल किता 2 की 0.5060 है0 नहरी कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 1.2550 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप व राजेन्द्र के नाम दर्ज है जिसमें रामस्वरूप का 1/2 हिस्सा दर्ज है को प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम यथावत् दर्ज रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 222/2018

अनवान :

1. कृष्ण पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हजारी कौम जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. पवन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. संतोष पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी गांधीबडी हाल निवासी कालवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री मदन कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 2 एसडीआर के ख़ाता सं0 92/86 के मु0नं0 20 के किला नं0 1, 10, 11, 20 कुल किता 4 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9600 है0 गै0मु0 रास्ता 0.0520 है0 प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 66/65 के मु0नं0 20 के किला नं0 25, कुल किता 1 की 0.2530 है0 नहरी, मु0नं0 28 के किला नं0 4, 5, 6, 7 कुल किता 4 की 1.01120 है0 जिसमें नहरी 0.9620 है0 गै0मु0 खाला 0.0500 है0 व मु0नं0 29 के किला नं0 1 ता 15, 17 ता 22 कुल किता 21 की 5.3130 है0 नहरी, कुल खसरा नं0 26 कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 जिसमें नहरी 6.5280 है0 गै0मु0खाला 0.0500 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 3 एसडीआर के खाता सं0 65/64 के मु0नं0 10 के किला नं0 22, 23, 24 कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी व मु0नं0 19 के किला नं0 2, 3 कुल किता 2 की 0.5060 है0 नहरी कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 1.2550 है0 नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप व राजेन्द्र के नाम दर्ज है जिसमें रामस्वरूप का 1/2 हिस्सा दर्ज है को प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम यथावत् दर्ज रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: